राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प. 2(2)आरपीजी/मुं.म./2022 जयपुर, दिनांक 25.04.2022

–:आदेश:–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री निवास/कार्यालय पर प्राप्त होने वाले जन अभियोग प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रद्धत निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. राजस्थान जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम तथा राजस्थान लोक सेवा गांरन्टी अधिनियम ऑफलाइन दर्ज होने वाले प्रकरणों को 181/राज0 सम्पर्क से भी जोडा जायें।
2. राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण हेतु सभी अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे का समय दें।
3. प्रकरण का निस्तारण होने के बाद सम्बन्धित परिवादी को सूचित किया जावें।
4. प्रत्येक विभाग में जन अभियोग निराकरण की प्रगति की समीक्षा हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावें।
5. राजस्थान सम्पर्क पर की गई अधिकारियों तथा उनके लेवल की मैंपिंग लगभग सात वर्ष पुरानी है। इस दौरान कई नये विषय भी जुडे है, अतः इस मैंपिंग की समीक्षा की जाकर नये पद–सोपान तथा नये विषय जोंडे जाये।
6. श्रम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में लम्बित प्रकरण, राजस्थान सम्पर्क की परिधि से बाहर रखते हुए, 181/राज. सम्पर्क पर दर्ज नहीं किया जाये।
7. 181/राज. सम्पर्क पर दर्ज किए गए प्रकरणों को निस्तारण करते समय कई बार सुसंगत/स्वतः स्पष्ट टिप्पणी अंकित नही की जा रही है, अतःइस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए जायें।
8. पूर्व में जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रतिमाह समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाते थे, उक्त शिविरों को पुनः आयोजित कराया जाना चाहिए। इसके तहत प्रतिमाह प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरूवार को ब्लॉक स्तर पर तथा तीसरे गुरूवार को जिला कलेक्टर के स्तर पर समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाये।

आज्ञा से,

(आलोक गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री जन अभियोग निराकरण विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. समस्त निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान।
9. आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
10. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर राजस्थान।
11. निदेशक, लोक सेवाएँ, जन अभियोग निराकरण विभाग।
12. अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
13. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव